राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(11)श्रम / विधि / 2017 जयपुर, दिनांकः 9.5.2020

अधिसूचना

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों से, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती हैः–

1. महिला कर्मचारी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही नियोजक द्वारा रात्रिकाल में नियोजित करने के लिए अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. सभी महिला कर्मियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र एवं फोटो सहित पहचान पत्र जारी किये जाएंगे।
3. महिला कर्मचारियों के रात्रि में कार्य करने की स्थिति में उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व नियोजक का होगा तथा महिला कर्मचारियों को रात्रि में घर से कार्यस्थल तक आने व वापिस जाने के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. कार्य स्थल पर महिला कर्मियों के लिए पृथक विश्राम गृह व सामान रखने के लिए लोकर (Locker) उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. किसी गर्भवती महिला को उसकी सम्भावित प्रसूति तिथि से 3 माह पूर्व तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात् 3 माह की अवधि में रात्रि में कार्य पर नहीं बुलाया जाएगा।
6. नियोजक द्वारा कार्यस्थल में सम्भावित यौन उत्पीडन के कृत्य या घटना होने की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. जिन दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजक स्वयं महिला हो तथा स्वयं महिला द्वारा ही संचालित किया जाता हो और उसमें नियोजित सभी कर्मचारी महिलायें हो, उन संस्थानों के लिए छूट की अवधि 4 वर्ष होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(पतंजलि भू)

अति० श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.14(11)श्रम / विधि / 2017 जयपुर, दिनांकः 9.5.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0) / (औद्योगिक संबंध), मुख्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त / उप / सहायक श्रम आयुक्त / श्रम कल्याण अधिकारी(समस्त)
6. उपनिदेशक (A.C.P) IT Cell मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का क्र.सं. 1 में वर्णित विभाग से प्रकाशन करावें।
7. गार्ड पत्रावली।

अति0 श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner